

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर

F14 (Water)2017/ FCA/ PCCF/CCF EDS-I Jaipur Dated 6.10.2017

EXECUTIVE ENGINEER PHED CITY DN I AJMER, द्वारा RCC OHSR of capacity 190 KL proposed at Trambay station Harizan Basti for water supply in the area कार्य हेतु अजमेर जिला/वनमंडल अजमेर की कुल 0.0225 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/26264/2017 दिनांक 20.5.2017 को ऑनलाईन रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव में पार्ट II एवं पार्ट III की पूर्ति उपरांत ऑनलाईन भिजवाया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है :-

1. प्रस्ताव में उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उलंघन होना अवगत कराया गया है किन्तु पार्ट II के बिन्दु संख्या 11 (अ एवं ब) में पूर्ति नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वायलेशन किये जाने पर उप द्वारा क्या कार्यवाही की गई विवरण देते हुए तथ्यात्मक विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस आशय " भारत सरकार उक्त प्रस्ताव में दण्डात्मक प्रावधानों में कोई दण्ड राशि अधिरोपित की जाती है तो उसे जमा करा दिया जावेगा" का शपथ पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. उप वन संरक्षक द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की योजना वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाइडलाइन में जारी निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नहीं है।
4. उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाइडलाइन में जारी निर्धारित प्रपत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव में संलग्न किया गया पार्ट III मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा नहीं भरा जाकर वन संरक्षक अजमेर द्वारा भरा गया है जबकि प्रपत्र में मुख्य वन संरक्षक अजमेर के हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित है।
6. उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न 100 वृक्षों के वृक्षारोपण स्थल का डी०जी०पी०एस० मानचित्र सही नहीं है। संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रस्ताव में हार्ड प्रति प्राप्त नहीं। प्रस्ताव में तीन हार्ड प्रति (एक मूल प्रति) मय हस्ताक्षर के प्रस्तुत की जानी है।

अतः उक्तानुसार पायी गयी कमियों /टिप्पणियों की पूर्ति कराने हेतु मुख्य वन संरक्षक अजमेर को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।


6/10/17
(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR